दो रुपये TWO RUPEES

217

न्यायालय श्रीमान् राजस्व [illegible] महोदय, ग्वालि[illegible] म.प्र.

==

निगरानी क्रमांक:- /2014 R- 2498 - [illegible]/14

Rm
5/7/14

[illegible] तनय सुन्नो [illegible] आयु-50 साल निवासी

भैसवारी तहसील [illegible] टीकमगढ़ म.प्र.

....निगराकार

बनाम

1. [illegible]खड़ेन तनय परम लोधी आयु-60 साल
2. [illegible]न्नू तनय परम लोधी आयु-57 साल दोनो नि.
 ग्राम भैसवारी तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.
3. [illegible] तनय परम लोधी आयु-54 साल निवासी
 [illegible] तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

....प्रतिनिगराकारगण

निगरानी प्रतिकूल निर्णय आदेश विधान अधिनस्थ रा. नि. मं. बड़ागांव धसान के प्रकरण क्रमांक-37/अ-12/13-14 मे पारित आदेश दिनांक 10.06.14 के विरुद्ध जिसके तहत निगराकार के स्वत्व एवं आधिपत्य की एवं पटैती भूमि में से एक हैक्टेयर भाग प्रतिनिगराकारगणो के स्वामित्व मे निकाल [illegible] गयी है।

==

क्रमांक 2338
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ~~[illegible]~~ को प्राप्त
21-7-14
क्लर्क [illegible]
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार निम्न प्रकार है:-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश विधि विधानएवं मूल पत्रावली के सर्वथा प्रतिकूल है ।

2. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रतिनिगराकारगणं ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 373 का सीमांकन कराया होगा उक्त सीमांकन में निगराकारगणो की एक हैक्टेयर भूमि निकाल दी गयी है ।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के मापक नियमो का पालन नही किया गया न तो मौके पर सरहदी कृषको को आहूत किया गया न ही उन्हे सीमांकन के संबंध में जानकारी दी गयी और न ही मौके पर

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2498—तीन / 2014 जिला—टीकमगढ़

तन्सू विरूद्ध सुखदेन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बड़ागांव धसान, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 37 / अ—12 / 2013—14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10—06—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 7/3/19	